

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
अंसारी नगर, नई दिल्ली
ANSARI NAGAR, NEW DELHI

वित्तीय वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-2026) के लिए
आयकर के प्रयोजन हेतु घोषणा प्रपत्र

Declaration Form for the purpose of Income Tax

for the Financial Year 2024-25 (Assessment Year 2025-2026)

कर्मचारी आईडी:/Emp.ID:

नाम/ NAME:

विभाग/DEPARTMENT:

वरिष्ठ नागरिक: हाँ/नहीं /Sr. Citizen: Yes/No

पदनाम/DESIGNATION:

पैन नं./ PAN NO.:

टैक्स गणना (कृपया एक विकल्प पर टिक करें) पुरानी टैक्स व्यवस्था टैक्स व्यवस्था

Tax Calculation (please tick one option) Old Tax Regime New Tax Regime

दावों और उनके साक्ष्य का विवरण DETAILS OF CLAIMS AND EVIDENCE THEREOF			
क्र.सं. Sl.No.	दावे की स्वरूप / Nature of Claim	राशि (₹.) Amount (Rs.)	साक्ष्य/विवरण Evidence/particulars
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p>मकान किराया भत्ता: House Rent Allowance:</p> <p>मकान मालिक को दिया गया किराया: Rent paid to the Landlord</p> <p>मकान मालिक का नाम: Name of the Landlord</p> <p>मकान मालिक का पता: Address of Landlord</p> <p>मकान मालिक का स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या Permanent Account Number or Aadhaar Number of the Landlord</p> <p>(नोट: यदि पिछले वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल किराया एक लाख रुपये से अधिक है तो स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या प्रस्तुत की जाएगी। (Note: Permanent Account Number or Aadhaar Number shall be furnished if the aggregate rent paid during the previous year exceeds one lakh rupees.</p>		
2	<p>अवकाश यात्रा रियायतें या सहायता Leave Travel Concessions or Assistance</p>		
3	<p>उधार पर ब्याज की कटौती: Deduction of Interest on borrowing:</p> <p>ऋणदाता को देय/भुगतान किया गया ब्याज: Interest payable/paid to the lender</p> <p>ऋणदाता का नाम: Name of the lender</p> <p>ऋणदाता का पता: Address of the lender</p> <p>ऋणदाता का स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या Permanent Account Number or Aadhaar Number of the Lender</p> <p>वित्तीय संस्थाएं (यदि उपलब्ध हों) Financial Institutions (if available)</p> <p>नियोक्ता (यदि उपलब्ध हो)</p>		

	<p>Employer (If available)</p> <p>अन्य: Others</p>		
4	<p>अध्याय VI-A के अंतर्गत कटौती Deduction under Chapter VI-A</p> <p>धारा 80 सी, 80 सीसीसी और 80 सीसीडी Section 80C, 80CCC and 80CCD</p> <p>धारा 80 सी Section 80C</p> <p>(a)</p> <p>(b)</p> <p>©</p> <p>(d)</p> <p>(e)</p> <p>(f)</p> <p>(g)</p> <p>धारा 80सीसीसी Section 80CCC</p> <p>धारा 80 सीसीडी Section 80ccD</p> <p>अध्याय VI-A के अंतर्गत अन्य धाराएं (जैसे 80D, 80DD, 80E, 80G, 80U, 80EEB, 80G, 80TTA, आदि) Other sections (e.g. 80D, 80 DD, 80E, 80G, 80U, 80EEB, 80GG, 80TTA, etc.) under chapter VI-A</p> <p>धारा/Section.....</p> <p>धारा/Section.....</p> <p>धारा/Section.....</p> <p>धारा/Section.....</p> <p>धारा/Section.....</p> <p>धारा/Section.....</p> <p>धारा/Section.....</p> <p>धारा/Section.....</p> <p>धारा/Section.....</p> <p>धारा/Section.....</p> <p>धारा/Section.....</p>		

सत्यापन/Verification

मैं _____ पुत्र/पुत्री _____ प्रमाणित
करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी पूर्ण एवं सही है।

I _____ son/daughter of _____ do

hereby certify that the information given above is complete and correct.

पहले से की गई या संभावित रूप से की जाने वाली विभिन्न बचतों/निवेशों के लाभों का दावा करने के लिए स्व-सत्यापित दस्तावेजी प्रमाण 31 जनवरी 2025 तक प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा न करने पर घोषणा-पत्र में उल्लिखित बचत/निवेश को निरस्त करके मुझसे कर वसूल किया जा सकता है।

भुगतान/अंशदान/निवेश के मामले में, जब भी मुझसे सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज मांगा जाएगा, मैं उसे प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।

The self-attested documentary proof for claiming the benefits of various savings / investments already made or likely to be made, will be submitted by 31st January 2025, failing which the tax may be recovered from me by nullifying the savings / investments stated in declaration form.

In case of payment/ contribution/ investments, I will produce the original document for verification, whenever it will be asked for.

घोषणा पत्र जमा करने की अंतिम तिथि: 20 सितंबर 2024

Last date of submission of Declaration Form: 20th September 2024

नोट: उपर्युक्त घोषणा के आधार पर जनवरी 2025 तक कर (अस्थायी) काटा जाएगा। फरवरी 2025 से, यदि बचत का विवरण स्व-सत्यापित दस्तावेजी प्रमाण के साथ 31 जनवरी 2025 तक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लागू दरों के अनुसार कर काटा जाएगा।

Note: Tax (tentative) will be deducted on the basis of above declaration up to January 2025. From February 2025 onwards, tax will be deducted as per applicable rates, if details of savings supported with self-attested documentary proof are not submitted by 31st January 2025.

स्थान/Place _____ नई दिल्ली/NEW DELHI _____

दिनांक/Date _____ 06.09.2024 _____

(कर्मचारी के हस्ताक्षर)
(Signature of the employee)

पदनाम/Designation _____ SECRETARY/DG _____

पूना नाम/Full Name _____